

## कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता—किशोरपुरा कोटा—09 (राज0), ईमेल:—ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:— 0744—2500194

क्रमांक:एफ13( )एफसीए/समुवसं/2023/ 4179

दिनांक : 4/8/23

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी  
एफसीए राजस्थान जयपुर।

विषय: Construction of approach road to foosod mata ji.(Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/152647/2022)

प्रसंग: आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 एवं पत्रांक एफ14( )2019/झालावाड़ रोड/एफसीए/प्रमुवसं/6168 दिनांक 31.05.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक ई0डी0एस0 एवं पत्र दिनांक 31.05.2023 के क्रम में उप वन संरक्षक कोटा ने पत्रांक 6168 दिनांक 31.05.2023 से चाही गई बिन्दुओं की सूचना तैयार कर कार्यालय में प्रेषित की है जो निम्नानुसार है:—

क्र0सं0	आक्षेप	पालना
1	संलग्न के0एम0एल0 फाइल में वनभूमि का सीमा विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ति कर दी गयी है।
2	संलग्न डी0जी0पी0एस0 मेप में गैर वनभूमि का खसरा संख्या 510 गैर वनभूमि में दर्शाया जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ति कर दी गयी है।
3	प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्गों में एलायमेंट -2 में वनभूमि 0.4920 है0 आती है तो उस मार्ग के प्रस्ताव का चयन नहीं करने के कारण स्पष्ट किये जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्ग में एलाइमेंट 02 में न्यूनतम वनक्षेत्र 0.683 हैक्टर आता है।
4	प्रस्तावित मार्ग में गैर वनभूमि में मकान आदि आना दृश्यमान है जबकि प्रस्ताव में कोई विस्थापन होना नहीं दर्शाया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ति कर दी गयी है।
5	खसरा अनुसार रिपोर्ट में 260 नम्बर का खसरा वन विभाग के नाम नहीं है।	प्रस्ताव से संबंधित नहीं है।
6	उप वन संरक्षक द्वारा वनभूमि का विविध अस्तित्व प्राइवेट राजस्व लिखा गया है जबकि उक्त क्षेत्र वन विभाग की खातेदारी में है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-1 में ऑनलाईन संशोधन कर दिया है।
7	यूजर एजेन्सी उक्त ग्राम में प्राप्त वन/गैर वनभूमि को पृथक-पृथक रंग से दर्शाया जाकर आस पास की सीमा बनायी जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ति कर दी गयी है।
8	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट-1 के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-1 के बिन्दु संख्या 5 में ऑनलाईन संशोधन कर दिया है।
9	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट-1 के बिन्दु संख्या 8 में वन्यजीव की उपस्थिति का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-1 के बिन्दु संख्या 8 में ऑनलाईन संशोधन कर दिया है।
10	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं उससे संबंधित दस्तावेज यथा 100 वृक्षों की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, डी0जी0पी0एस0 मेप एवं जी0टी0शीट मेप, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-1 में ऑनलाईन वांछित संशोधन कर दिया है।
11	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित वनभूमि 0.41 है0 हेतु किया गया है जबकि प्रस्तावित चयन भूमि 0.59 है0 है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में ऑनलाईन संशोधन कर अपलोड कर दिया है।

**Signature valid**

Digitally signed by Mahesh Chand  
Gupta  
Designation : Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.08.04 09:26:08 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4448293



12	वनभूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-11 में ऑनलाईन गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपलोड कर दी है।
13	उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वनभूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा नहीं की गयी है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वनभूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा कर संशोधित रिपोर्ट अपलोड कर दी है।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा

क्रमांक:एफ13( )एफसीए/समुवसं/2023/

दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक कोटा को पत्रांक 6714 दिनांक 28.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा

RajKaj Ref No. : 4448293

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand  
Gupta  
Designation : Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.08.04 09:26:08 IST  
Reason: Approved

